न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 02/2023
जीसीएमएस संख्याः 2023/8 निर्णय दिनांकः 28-10-25

1. तिलाराम पुत्र बुधाराम जाति नायक निवासी मैयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. पोकरराम पुत्र आसूराम जाति नायक निवासी मैयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 28—10—2022

उपस्थितः—

1. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 28—10—2022 जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया गया के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24–02–2021 को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 386/286 तादादी 9.49 हैक्टर वाके रोही मैयासर में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 386/286 के पूर्वी तरफ अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 21 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 115, 116, 117 स्थित है जो कि सबसे नजदीकी है उक्त के दक्षिण से उतर की ओर कटाणी रास्ता चल रहा है। जो बीरमसर से मैयासर की तरफ जाता है। खसरा नम्बर 115 के उतर साईड पूर्व से पश्चिम सींव से मार्ग की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 115 में 230 मीटर लंबा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, नोखा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो अपीलांट के तथ्यों अनुसार प्राप्त नही हुई मौका पर निरीक्षण करते समय पक्षकारो को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने का प्रावधान है। परन्तु तहसीलदार नोखा द्वारा मौका रिपोर्ट नियम विरूद्ध नियमो को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से तैयार की है। अपीलाधीन आदेश तथ्यो से साबित है कि पुख्ता प्रमाणो का अनदेखी की गई है। जिसको कानून सम्मत नही कर सकते है इस प्रकार के गलत आधारो पर खेत में गलत जगह पर मार्ग बताकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। किसी प्रकार पीठ पीछे की मौका रिपोर्ट की बिना जांच किये आदेश दिया जाने से आदेश निरस्त योग्य है। उक्त रास्ता कायम किये जाने से अपीलांट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है जो कानून हमेशा इन्टेक्ट व सुरक्षित रखता है। जिसे उक्त आदेश द्वारा असुरक्षित कर खातेदारी खेत के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किये कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि जिसमें 13 खातेदार है जिसमें प्रत्येक का 7/64 हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुछ पक्षकारो को ही पक्षकार संयोजित किया है तथा शेष पक्षकारो को पक्षकार नही बनाया है। खसरा नम्बर 115 मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज है, खसरा संख्या 116 लूणा के नाम दर्ज है जबकि खसरा नम्बर 117 गैर मुमकीन रास्ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 115 व 116 के खातेदारो को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। अंतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–10–2022 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2022(2) पेज 238, डीएनजे 2023 (1) पेज 341, आरआरटी 2019(2) पेज 1307, आरआरटी 2021 पेज 586, आरआरटी 2022–23 पेज 210 प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। अपीलांट द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 386/286 में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त खेत खसरा नम्बर 386/286 के चिपते ही खेत खसरा नम्बर 115, 116, 117 स्थित है उक्त खसरो के पूर्व की तरफ दक्षिण से उतर की ओर कटाणी रास्ता चल रहा है। जो गॉव बीरमसर से मेयासर की ओर जाता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 115 के उतर साईड पूर्व से पश्चिम सींव सींव रास्ता दिलवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तदुआ की गई थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नोखा से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को खेत खसरा नम्बर 115 में 230 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि तहसीलदार, नोखा की मौका रिपार्ट दिनांक 19–08–2021 में स्पष्टतः उल्लेखित किया गया है कि खसरा नम्बर 386/286 में आने जाने बाबत अन्य कोई पहुॅच मार्ग नही है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को मार्ग दिया जाना उचित है। खसरा नम्बर 115 प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के सबसे निकटतम मार्ग है। वर्तमान में कोई कटाणी या प्रचलित रास्ता नही गुजरता है। इन सभी बिन्दूओं को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

रास्ते संबंधी प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है:–

1:– रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

2:– वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3:– उपलब्ध विकल्पों में से निकटतम रास्ता।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक 187 दिनांक 01–07–2021 द्वारा बिन्दूवार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मौका रिपोर्ट नियम 69 के प्रावधानो के तहत भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा बनाया जाना प्रकट होता है। मौका रिपोर्ट में स्पष्टतः उल्लेखित है कि – *"प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत में अन्य पहुॅच मार्ग नही होने से प्रार्थी को मार्ग दिया जाना उचित है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का अन्य कोई कटाणी मार्ग नही है। प्रस्तावित खसरा नम्बर 115 निकटतम मार्ग है।"* मौका रिपोर्ट में बिन्दूवार स्पष्ट टिप्पणी की गई है जिससे रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव का बिन्दू साबित है। अपीलाधीन आदेश द्वारा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता के आधार पर मौका रिपोर्ट के अनुसार लघुतम मार्ग को रास्ते के रूप में स्वीकार किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि न होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–10–2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 28-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर